



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2017/आषाढ़ 15, 1939

No. 609]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2017/ASADHA 15, 1939

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 6 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 846(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“का.आ. 269”

संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 2017

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से निम्नलिखित आदेश करते हैं :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 2017 है।
- (2) ये तुरंत प्रवृत्त होगा।
- (3) इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 5 के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य की शक्तियां अविचल रहेंगी।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ।

2. संविधान (जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होना) आदेश, 1954 के पैरा 2 में,—

(I) भाग 11 से संबंधित उप पैरा (6) में,—

(1) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) अनुच्छेद 246 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“246क. (1) जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल को राज्य द्वारा उद्बुद्धित माल और सेवा कर के संबंध में विधि बनाने की शक्तियां होंगी।

(1क) अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 254 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी संघ द्वारा उद्बुद्धित माल और सेवा कर के संबंध में विधि बनाने की शक्तियां होंगी।

(2) संसद् को माल और सेवा कर के संबंध में वहां विधि बनाने की अनन्य शक्ति है जहां माल या सेवा या दोनों की पूर्ति अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में होती है।

(3) जम्मू-कश्मीर विधान-मंडल को किन्हीं करों के अधिरोपण के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्तियां होंगी जैसा जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 5 द्वारा समर्थ बनाया गया है।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 279क के खंड (5) में निर्दिष्ट माल और सेवा कर के संबंध में माल और सेवा कर परिषद् द्वारा सिफारिश की गई तारीख से प्रभावी होंगे।”।

(2) खंड (ग) में “किसी भी विषय के लिए” शब्दों से पूर्व “अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।”

(II) भाग 12 से संबंधित उप पैरा (7) में,—

(1) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(घ) अनुच्छेद 268 के खंड (1) में, “तथा औषधियां और प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसे उत्पाद-शुल्क” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ङ) अनुच्छेद 269 के खंड (1) के उपखंड (छ) में, “अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य” शब्दों के स्थान पर “सिवाय जैसा कि अनुच्छेद 269क में उपबंधित है” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।”;

(च) अनुच्छेद 269 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“269क. अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण.—(1) भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में पूर्तियों पर माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण तथा ऐसे कर को संघ और राज्यों के बीच माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर संसद् द्वारा बनाई गई विधि में उपबंधित रीति के अनुसार प्रभाजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, भारत के राज्यक्षेत्र में आयात के अनुक्रम में माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति को अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति समझा जाएगा।

(2) खंड (1) के अधीन राज्य को प्रभाजित रकम भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होगी।

(3) जहां खंड (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर के रूप में संग्रहित रकम का उपयोग अनुच्छेद 246क के अधीन राज्य द्वारा उद्ग्रहीत कर के संदाय के लिए किया जाता है, वहां ऐसी रकम भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होगी।

(4) अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में पूर्तियों पर माल और सेवा कर के परिणामस्वरूप संघ द्वारा राज्यों को अंतरित रकम निम्नलिखित सकल राशि होगी, अर्थात् :—

(क) खंड (1) के अधीन राज्य को प्रभाजित रकम ;

(ख) खंड (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर के रूप में संग्रहित रकम, जिसका उपयोग अनुच्छेद 246क के अधीन राज्य द्वारा उद्ग्रहीत कर का संदाय करने के लिए किया गया है ;

(ग) अनुच्छेद 246क के अधीन राज्य द्वारा उद्ग्रहीत कर के रूप में संग्रहित रकम, जिसका उपयोग खंड (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर का संदाय करने के लिए किया गया है ;

(घ) अनुच्छेद 270 के खंड (2) के अधीन राज्य को वितरित रकम।

(5) संसद, विधि द्वारा पूर्ति के स्थान और जब अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की जाती है, का अवधारण करने के लिए विधि द्वारा सिद्धांतों की विरचना कर सकेगी।”;

(छ) अनुच्छेद 270 में खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1क) अनुच्छेद 246क के खंड (1क) के अधीन संघ द्वारा संग्रहीत कर को खंड (2) में उपबंधित रीति में संघ और राज्यों के बीच भी वितरित किया जाएगा।

“(1ख) अनुच्छेद 246क के खंड (2) और अनुच्छेद 269क के अधीन संघ द्वारा उदग्रहीत और संग्रहीत कर जिसका उपयोग संघ द्वारा अनुच्छेद 246क के खंड (1) के अधीन उदग्रहीत कर के संदाय के लिए किया गया है और रकम को अनुच्छेद 269क के खंड (1) के अधीन संघ को प्रभाजित किया गया है, को खंड (2) में उपबंधित रीति में संघ और राज्यों के बीच भी वितरित किया जाएगा।”;

(ज) अनुच्छेद 271 में “उन अनुच्छेदों में” शब्दों के पश्चात् “सिवाय अनुच्छेद 246क के अधीन माल और सेवा कर” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(झ) अनुच्छेद 279 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा:—

“279क. माल और सेवा कर परिषद्.—(1) राष्ट्रपति, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर, आदेश द्वारा, माल और सेवा कर परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् का गठन करेगा।

(2) माल और सेवा कर परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) संघ का वित्त मंत्री — अध्यक्ष ;

(ख) संघ का भारसाधक राजस्व या वित्त राज्यमंत्री — सदस्य ;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्त या कराधान का भारसाधक मंत्री या कोई अन्य मंत्री — सदस्य।

(3) खंड (2) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट माल और सेवा कर परिषद् के सदस्य, यथाशीघ्र अपने में से एक सदस्य को ऐसी अवधि के लिए, जो वे विनिश्चित करें, परिषद् का उपाध्यक्ष चुनेंगे।

(4) माल और सेवा कर परिषद्, निम्नलिखित के संबंध में संघ और राज्यों को सिफारिशें करेगी—

(क) संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा उदग्रहीत कर, उपकर और अधिभार, जो माल और सेवा कर में सम्मिलित किए जाएंगे ;

(ख) माल और सेवाएं जो माल और सेवा कर के अधीन हों सकेंगी या जिन्हें माल और सेवा कर से छूट प्राप्त हो सकेगी ;

(ग) आदर्श माल और सेवा कर विधियां, उदग्रहण के सिद्धांत, अनुच्छेद 269क के अधीन अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में पूर्तियों पर उदग्रहीत माल और सेवा कर का प्रभाजन तथा वे सिद्धांत जो पूर्ति के स्थान को शासित करते हैं ;

(घ) आवर्त की वह अवसीमा जिसके नीचे माल और सेवाओं को माल और सेवा कर से छूट प्रदान की जा सकेगी ;

(ङ) माल और सेवा कर के समूहों के साथ दरें जिनके अंतर्गत न्यूनतम दरें भी हैं ;

(च) किसी प्राकृतिक विपत्ति या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें ;

(छ) अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध ; और

(ज) माल और सेवा कर से संबंधित कोई अन्य विषय, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(5) माल और सेवा कर परिषद् उस तारीख की सिफारिश करेगी जिसको अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर माल और सेवा कर उद्दृहीत किया जाएगा।

(6) इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करते समय, माल और सेवा कर परिषद् माल और सेवा कर की सामंजस्यपूर्ण संरचना और माल और सेवाओं के लिए सुव्यवस्थित राष्ट्रीय बाजार के विकास की आवश्यकता द्वारा मार्गदर्शित होगी।

(7) माल और सेवा कर परिषद् की, उसकी बैठकों में गणपूर्ति परिषद् के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से मिलकर होगी।

(8) माल और सेवा कर परिषद् अपने कृत्यों के अनुपालन के लिए प्रक्रिया अवधारित करेगी।

(9) माल और सेवा कर परिषद् का प्रत्येक विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के अधिमानप्राप्त मतों के कम से कम तीन-चौथाई के बहुमत द्वारा बैठक में निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार को डाले गए कुल मतों के एक-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगी ; और

(ख) सभी राज्य सरकारों के मतों को एक साथ लेने पर उस बैठक में डाले गए कुल मतों के दो-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगी।

(10) माल और सेवा कर परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगी कि—

(क) परिषद् में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) परिषद् के किसी सदस्य के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) परिषद् की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण को प्रभावित नहीं करती है।

(11) माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों या उनके कार्यान्वयन से उद्भूत, निम्नलिखित के मध्य, किसी विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए तंत्र स्थापित करेगी —

(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्य ; या

(ख) एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य या राज्य तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्य ; या

(ग) दो या अधिक राज्य के मध्य।”।

(12) जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित सांविधानिक उपबंधों पर टकराव के किसी विनिश्चय के प्रयोजन के लिए, खंड (4) से खंड (11) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल और सेवा कर परिषद् में जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रतिनिधि की सहमति आज्ञापक होगी और धारा 370 के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

(13) इस धारा की कोई बात किसी रीति में चाहे जो हो जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 5 द्वारा यथाप्रत्याभूत जम्मू-कश्मीर राज्य का विधायी सक्षमता किसी भी रीति से प्रभावित नहीं करेगी।”

(ज) अनुच्छेद 286 में,—

(1) खंड (1) में,—

(क) “माल के क्रय या विक्रय जहां ऐसा क्रय या विक्रय होता है” शब्दों के स्थान पर, “माल या सेवाओं की या दोनों की पूर्ति जहां ऐसी पूर्ति होती है” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपखंड (ख) में “माल” दोनों स्थानों पर जहां वह आता है शब्द के स्थान पर, “माल या सेवा या दोनों” शब्द रखे जाएंगे;

(2) खंड (2) में “माल का क्रय या विक्रय” शब्दों के स्थान पर, “माल या सेवा या दोनों की पूर्ति” शब्द रखे जाएंगे;

(3) खंड (3) का लोप किया जाएगा।

(III) भाग 19 से संबंधित उप पैरा (14) में,—

(1) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(कक) अनुच्छेद 366 में,—

(i) खंड (12) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(12क) “माल और सेवा कर” से मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहोली लिकर की पूर्ति पर कर के सिवाय माल या सेवा या दोनों की पूर्ति पर कोई कर अभिप्रेत है;’

(ii) खंड (26) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(26क) “सेवाओं” से माल से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है ;

(26ख) “राज्य” के अंतर्गत अनुच्छेद 246क, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269क और अनुच्छेद 279क के संदर्भ में विधानमंडल वाला कोई संघ राज्यक्षेत्र भी आता है ;’।

(IV) भाग 20 से संबंधित उप पैरा (15) में,—

खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

‘(क) अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के खंड (क) में, “अनुच्छेद 162 या अनुच्छेद 241” शब्दों या अंकों के स्थान पर, “अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 279क” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(कक) अनुच्छेद 368 के खंड (2) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि ऐसे किसी संशोधन का जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में तब तक प्रभाव नहीं होगा जब तक कि अनुच्छेद 370 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू न किया जाए।”।

(V) सातवीं अनुसूची के उप पैरा (22) में,—

(1) खंड (क) में उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(iii) प्रविष्टि 84 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“84. भारत में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद शुल्क, अर्थात् :—

(क) अपरिष्कृत पेट्रोलियम ;

(ख) उच्च गति डीजल ;

(ग) मोटर स्प्रीट (सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात) ;

(घ) प्राकृतिक गैस ;

(ङ) विमानन टर्बाइन ईंधन ; और

(च) तबाकू और तबाकू उत्पाद ;

(iii) प्रविष्टि 92 का लोप किया जाएगा ;”;

(VI) संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 यथा आवश्यक उपांतरणों सहित राज्य को लागू होगा।

(VII) संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 19 और धारा 20 निम्नलिखित रूप में लागू होगी :—

“19. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, माल या सेवा या दोनों के संबंध में, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से तुरंत पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में किसी कर के उपबंध, जो जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान के उपबंधों से असंगत हैं, तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल द्वारा संशोधित या निरसित न कर दिए जाएं या संविधान लागू होना आदेश के प्रारंभ से एक वर्ष का अवसान, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

20. अनुच्छेद 370 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस संविधान लागू होना आदेश द्वारा यथा संशोधित संविधान के उपबंधों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई (जिसके अंतर्गत इस आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व यथा विद्यमान संविधान के उपबंधों से संक्रमण के संबंध में कोई कठिनाई है) उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेंगे, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम या विधि द्वारा यथा उपबंधित संविधान के किसी उपबंध का अनुकूलिकरण या उपांतरण है, जो राष्ट्रपति को कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु ऐसा कोई आदेश ऐसी अनुमति की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।”

प्रणब मुखर्जी,

राष्ट्रपति

[फा. सं. 10(3)/2017-वि. I]

डॉ. जी. नारायण राजू, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2017

G.S.R. 846(E).—The following order made by the President is published for general information :—

“C.O. 269”

THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) AMENDMENT ORDER, 2017

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order:—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment Order, 2017.

(2) It shall come into force at once.

(3) Notwithstanding anything contained in this Order, the powers of the State of Jammu and Kashmir as per section 5 of the Constitution of Jammu and Kashmir, shall remain intact.

Short title,
extent and
commencement.

2. In paragraph 2 of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954,—

(I) in sub-paragraph (6), relating to Part XI,—

(1) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(aa) after article 246, the following article shall be inserted, namely:—

“246A. (1) The Legislature of the State of Jammu and Kashmir shall have powers to make laws with respect to goods and services tax levied by the State.

(1A) Notwithstanding anything contained in articles 246 and 254, the Parliament shall have power to make laws with respect to goods and services tax levied by the Union.

(2) Parliament has exclusive power to make laws with respect to goods and services tax where the supply of goods, or of services, or both takes place in the course of inter-State trade or commerce.

(3) The Legislature of State of Jammu and Kashmir shall have exclusive powers to make laws in respect of imposition of any taxes as enabled by section 5 of the Constitution of Jammu and Kashmir.

Explanation.—The provisions of this article shall, in respect of goods and services tax referred to in clause (5) of article 279A, take effect from the date recommended by the Goods and Services Tax Council.’

(2) in clause (c), before the words “to any of the matters”, the words, figures and letter, “goods and service tax provided under article 246A or” shall be inserted;

(II) in sub-paragraph (7), relating to Part XII, —

(1) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:—

‘(d) in article 268, in clause (1), the words “and such duties of excise on medicinal and toilet preparations” shall be omitted;

(e) in article 269, in clause (1), in sub-clause (g), after the words “inter-State trade or commerce”, the words, figures and letter “except as provided in article 269A” shall be inserted;’;

(f) after article 269, the following article shall be inserted, namely:—

“269A. **Levy and collection of goods and service tax in course of inter-State trade or commerce.**— (1) Goods and services tax on supplies in the course of inter-State trade or commerce shall be levied and collected by the Government of India and such tax shall be apportioned between the Union and the States in the manner as may be provided by Parliament by law on the recommendations of the Goods and Services Tax Council.

Explanation.—For the purposes of this clause, supply of goods, or of services, or both in the course of import into the territory of India shall be deemed to be supply of goods, or of services, or both in the course of inter-State trade or commerce.

(2) The amount apportioned to a State under clause (1) shall not form part of the Consolidated Fund of India.

(3) Where an amount collected as tax levied under clause (1) has been used for payment of the tax levied by a State under article 246A, such amount shall not form part of the Consolidated Fund of India.

(4) The amount transferred by the Union to the State consequent to goods and services tax on supplies in the course of inter-State trade or commerce shall be net of the following amounts, namely:—

(a) the amount apportioned under clause (1) to the State;

(b) the amount collected as tax levied under clause (1) used for the payment of the tax levied by the State under article 246A;

(c) the amount collected as tax levied by the State under article 246A used for the payment of tax levied under clause (1);

(d) the amount distributed to the State under clause (2) of article 270.

(5) Parliament may, by law, formulate the principles for determining the place of supply, and when a supply of goods, or of services, or both takes place in the course of inter-State trade or commerce.”;

(g) in article 270, after clause (I), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(IA) The tax collected by the Union under clause (1A) of article 246A shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).

(IB) The tax levied and collected by the Union under clause (2) of article 246A and article 269A, which has been used for payment of the tax levied by the Union under clause (I) of article 246A, and the amount apportioned to the Union under clause (I) of article 269A, shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).”;

(h) in article 271, after the words, “in those articles”, the words, figures and letter “except the goods and services tax under article 246 A” shall be inserted;

(i) after article 279, the following article shall be inserted, namely:—

“279A. **Goods and Service Tax Council.**— (1) The President shall, within sixty days from the date of commencement of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, by Order, constitute a Council to be called the Goods and Services Tax Council.

(2) The Goods and Services Tax Council shall consist of the following Members, namely:—

(a) the Union Finance Minister.....Chairperson;

(b) the Union Minister of State in charge of Revenue or Finance..... Member;

(c) the Minister in charge of Finance or Taxation or any other Minister nominated by each State Government.....Members.

(3) The Members of the Goods and Services Tax Council referred to in sub-clause (c) of clause (2) shall, as soon as may be, choose one amongst themselves to be the Vice-Chairperson of the Council for such period as they may decide.

(4) The Goods and Services Tax Council shall make recommendations to the Union and the States on—

(a) the taxes, cesses and surcharges levied by the Union, the States and the local bodies which may be subsumed in the goods and services tax;

(b) the goods and services that may be subjected to, or exempted from, the goods and services tax;

(c) model Goods and Services Tax Laws, principles of levy, apportionment of Goods and Services Tax levied on supplies in the course of inter-State trade or commerce under article 269A and the principles that govern the place of supply;

(d) the threshold limit of turnover below which goods and services may be exempted from goods and services tax;

(e) the rates including floor rates with bands of goods and services tax;

(f) any special rate or rates for a specified period, to raise additional resources during any natural calamity or disaster;

(g) special provision with respect to the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh and Uttarakhand; and

(h) any other matter relating to the goods and services tax, as the Council may decide.

(5) The Goods and Services Tax Council shall recommend the date on which the goods and services tax be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas and aviation turbine fuel.

(6) While discharging the functions conferred by this article, the Goods and Services Tax Council shall be guided by the need for a harmonised structure of goods and services tax and for the development of a harmonised national market for goods and services.

(7) One-half of the total number of Members of the Goods and Services Tax Council shall constitute the quorum at its meetings.

(8) The Goods and Services Tax Council shall determine the procedure in the performance of its functions.

(9) Every decision of the Goods and Services Tax Council shall be taken at a meeting, by a majority of not less than three-fourths of the weighted votes of the members present and voting, in accordance with the following principles, namely:—

(a) the vote of the Central Government shall have a weightage of one third of the total votes cast; and

(b) the votes of all the State Governments taken together shall have a weightage of two-thirds of the total votes cast, in that meeting.

(10) No act or proceedings of the Goods and Services Tax Council shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy in, or any defect in, the constitution of the Council; or

(b) any defect in the appointment of a person as a Member of the Council; or

(c) any procedural irregularity of the Council not affecting the merits of the case.

(11) The Goods and Services Tax Council shall establish a mechanism to adjudicate any dispute —

(a) between the Government of India and one or more States; or

(b) between the Government of India and any State or States on one side and one or more other States on the other side; or

(c) between two or more States,

arising out of the recommendations of the Council or implementation thereof.

(12) Notwithstanding anything contained in clause (4) to clause (11), for the purpose of any decision impinging on the constitutional provisions relating to the State of Jammu and Kashmir, the concurrence of the representative of the State of Jammu and Kashmir in the Goods and Service Tax Council shall be mandatory and the procedure provided under article 370 shall be followed.

(13) Nothing in this article shall affect in any manner whatsoever the legislative competence of State of Jammu and Kashmir as guaranteed by virtue of section 5 of the Constitution of Jammu and Kashmir.”

(j) in article 286,—

(I) in clause (I),—

(A) for the words “the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place”, the words “the supply of goods or of services or both, where such supply takes place” shall be substituted;

(B) in sub-clause (b), for the word “goods”, at both the places where it occurs, the words “goods or services or both” shall be substituted;

(2) in clause (2), for the words “sale or purchase of goods takes place”, the words “supply of goods or of services or both” shall be substituted;

(3) clause (3) shall be omitted;

(III) in sub-paragraph (14), relating to Part XIX,—

(1) after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely:—

‘(aa) in article 366,—

(i) after clause (12), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(12A) “goods and services tax” means any tax on supply of goods, or services or both except taxes on the supply of the alcoholic liquor for human consumption;’;

(ii) after clause (26), the following clauses shall be inserted, namely:—

‘(26A) “Services” means anything other than goods;

(26B) “State” with reference to articles 246A, 268, 269, 269A and article 279A includes a Union territory with Legislature;’;

(IV) in sub-paragraph (15), relating to Part XX, for clause (a), the following clauses shall be substituted, namely:—

‘(a) in article 368, in clause (2), in the proviso, in clause (a), for the words and figures “article 162 or article 241”, the words, figures and letter “article 162, article 241 or article 279A” shall be substituted;

(aa) to clause (2) of article 368, the following proviso shall be added, namely:—

“Provided further that no such amendment shall have effect in relation to the State of Jammu and Kashmir unless applied by order of the President under clause (1) of article 370”.’;

(V) in sub-paragraph (22), relating to Seventh Schedule,—

(1) clause (a) after sub-clause (iii) the following clauses shall be inserted, namely:—

(iia) for entry 84, the following entry shall be substituted, namely:—

“84. Duties of excise on the following goods manufactured or produced in India, namely:—

(a) petroleum crude;

(b) high speed diesel;

(c) motor spirit (commonly known as petrol);

(d) natural gas;

(e) aviation turbine fuel; and

(f) tobacco and tobacco products;”;

(iib) entry 92 shall be omitted;

(VI) section 18 of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016 shall, *mutatis mutandis*, apply to the State.

(VII) sections 19 and 20 of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016 shall apply in the following form, namely:—

“19. Notwithstanding anything in this Act, any provision of any law relating to tax on goods or services or on both in force in the State of Jammu and Kashmir immediately before the commencement of this Act, which is inconsistent with the provisions of the Constitution as applicable to the State of Jammu and Kashmir, shall continue to be in force until amended or repealed by the Legislature of the State of Jammu and Kashmir or until expiration of one year from the commencement of this Constitution Application Order, whichever is earlier.

20. Subject to the provisions of article 370, if any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Constitution as amended by this Constitution Application Order (including any difficulty in relation to the transition from the provisions of the Constitution as they stood immediately before the date of issuance of this Order), the President may, by Order, make such provisions, including any adaptation or modification of any provision of the Constitution as amended by this Act or law, as appear to the President to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such Order shall be made after the expiry of three years from the date of such assent.”.

PRANAB MUKHERJEE,
President.

[F. No. 10(3)/2017-Leg. I]

Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.